कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य / संस्था–डीपीसी / प्रभाग–2 / उप प्राचार्य / 2022–23 दिनांक :–21.11.202

अत्यावश्यक

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा

विषयः– उप प्राचार्य पद की नियमित डीपीसी वर्ष 2022–23 हेतु आवश्यक सूचना भिजवाये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उप प्राचार्य पद की नियमित डीपीसी वर्ष 2022–23 के लिए चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की अस्थाई पात्रता सूची वरिष्ठतानुसार विभागीय वेब पोर्टल पर प्रसारित की गई है। पात्रता में सम्मिलित आपके मण्डल में कार्यरत अभ्यर्थियों से संबंधित निम्न सूचनायें संबंधित अभ्यर्थियों से प्राप्त कर संबंधित प्रमाण पत्र पर नाम, वरिष्ठता कमांक, वरिष्ठता वर्ष, जन्म तिथि एवं पदस्थापन स्थान आवश्यक रूप से अंकित करते हुए दिनांक 28.11.2022 को कार्यालय समय में वाहक स्तर पर उपलब्ध करावें –

1. यदि किसी दिव्यांगजन का वरिष्ठता सूची में दिव्यांगता श्रेणी का अंकन नहीं है तो पदोन्नति में दिव्यांगजन को आरक्षण देने के संबंध में कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र प–14(36) कार्मिक / क–2 / 2007 पार्ट–I दिनांक 01.12.2021 के अनुसार पदोन्नति में दिव्यांगजन श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संबंधित अभ्यर्थी से प्राप्त कर वरिष्ठतानुकम में समेकित कर पृथक सूची बनाते हुए भिजवावें। प्रमाण पत्र पर दांये भाग में नीचे की ओर दिव्यांगता की श्रेणी, नाम, जन्म तिथि, वरिष्ठता कमांक व वरिष्ठता वर्ष एवं पात्रता सूची कमांक आवश्यक रूप से अंकित करें।
2. संतान संबंधी घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित कार्मिक से प्राप्त कर वरिष्ठतानुकम में समेकित कर भिजवावें।
3. ऐसे कार्मिक जिनके दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात तीसरी संतान हुई है, के संतान संबंधी घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित कार्मिक से प्राप्त कर वरिष्ठतानुकम में समेकित कर पृथक सूची बनाते हुए भिजवावें।

संलग्नः–पात्रता सूची वेबपोर्टल पर प्रसारित है।

टेलीग्राम चैनल से जुड़े यहाँ से

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कमांकः– शिविरा– माध्य/संस्था–डीपीसी/प्रभाग–2/उप प्राचार्य/2022–23/22 दिनांक :–21.11.202

सूचना

उप प्राचार्य पद की वर्ष 2022–23 की नियमित डीपीसी हेतु अस्थाई पात्रता सूची विभागीय वेबपोर्टल पर जारी कर निर्देशित किया जाता है कि :–

1. वरिष्ठता सूची में यदि किसी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता श्रेणी का अंकन नहीं है तो पदोन्नति में दिव्यांगजन को आरक्षण देने के संबंध में कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र प–14(36) कार्मिक/क–2/ 2007 पार्ट–I दिनांक 01.12.2021 के अनुसार पदोन्नति में दिव्यांगजन श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) के कार्यालय में दिनांक 25.11.2022 तक आवश्यक रूप से जमा करावें।
2. संतान संबंधी घोषणा–पत्र संबधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) के कार्यालय में दिनांक 25.11.2022 तक आवश्यक रूप से जमा करावें। घोषणा पत्र में नाम, वरिष्ठता कमांक, वर्ष व जन्म दिनांक का स्पष्ट अंकन करें।

   अस्थाई पात्रता के संबंध में आपत्तियां निर्धारित प्रारूप में दिनांक 27.11.2022 रात्री 12.00 बजे तक कार्यालय की ईमेल आईडी **prabhag2dpc+vp@gmail.com** पर आवश्यक रूप से प्रेषित करें। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। (आपत्ति हेतु निर्धारित प्रारूप–पत्र संलग्न है) **(संतान संबंधी घोषणा पत्र व दिव्यांगता श्रेणी के प्रमाण पत्र मेल के माध्यम प्रेषित न करें।)**

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

F:\U.ONOTE DPC1 docx

कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 7(1) कार्मिक/ क–2 /96 (33/01) दिनांक 20.06.2001 के कम में कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला सन्तान संबंधी

घोषणा पत्र

मैं ....पद..

कार्यालय/विभाग/स्कूल..एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या ....थी।

कसं	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म तिथि
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2. दिनांक 01.06.2002 को मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है,

अथवा

3. दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या में वृद्धि हुई है तथा वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या .... है।

कसं	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म तिथि
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

हस्ताक्षर

नाम	
पद	
जन्म तिथि	
पदस्थापन स्थान	
वरि0कमांक	
वरि0वर्ष	
पात्रता सूची कमांक	

प्रमाणित सक्षम अधिकारी
मय कार्यलय मोहर

Rajasthan Government

आपत्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र

क्रसं	विवरण	विवरण
1	आवेदक मय पिता का नाम	
2	पदनाम	
3	कार्यरत स्थान	
4	जन्मतिथि	
5	मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची का क्रमांक	
6	राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची का क्रमांक	
7	वरिष्ठता अवधि	
8	लिंग–पु0 / स्त्री	
9	वर्ग(अजा / अजजा हो तो वर्ग अंकित किया जावे)	
10	आपत्ति का विवरण	

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर